



संख्या-29/2025/1574/18-2-2025-18-2099/255/2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ०प्र०, कानपुर।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

विषय:- PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना में संशोधन/परिवर्धन (प्रथम संशोधन)।

महोदय,

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं निजी निवेशकर्ताओं को औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-10/2023/016/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01.02.2023 द्वारा PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना लागू की गयी है। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों/व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने हेतु उक्त के क्रम में PLEDGE: शासनादेश संख्या-10/ 2023 /016 /18-2-2023 /18-2002 /18 /2022 दिनांक 01.02.2023 एवं सामान्य मानक शासनादेश संख्या-11 /2023 /086 /18-2-2023 /18-2002 /18/2022 दिनांक 15.02.2023 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किये जाते हैं:-

(1) प्लेज पार्क के लिये प्रस्तावित भूमि को 12.0 मीटर के स्थान पर कम से कम 7.0 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े होने का प्राविधान किया जाता है, जिसमें कम से कम 7.0 मीटर ब्लैक टॉप रोड तथा कम से कम 1.50 मीटर पेवमेंट फुटपाथ आदि शामिल होगा। शर्त यह होगी कि यदि सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 7.0 मी० होगी, तो प्लेज पार्क में सिर्फ ग्रीन/आरेंज कैटेगरी के उद्योगों को अनुमन्यता होगी और यदि सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 12.0 मी० या अधिक होगी, तो सभी कैटेगरी के उद्योगों को अनुमन्यता होगी। यदि प्लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 एकड़ से 50 एकड़ के मध्य होगा, तो राज्य सरकार के पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा प्लेज पार्क तक 2.5 कि०मी० सड़क निर्माण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) एमएसएमई विभाग द्वारा विकसित होने वाले तथा पूर्व में विकसित ऐसे सभी प्लेज पार्कों पर 25 प्रतिशत विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा जो विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित एवं विकसित होंगे। नोटिफाइड क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले प्लेज पार्कों पर किसी प्रकार का विकास शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्रों के अन्दर विकास प्राधिकरण द्वारा ही मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे एवं बाहर के सभी क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी अधिकृत होंगे।

(4) प्लेज पार्क में स्टाम्प शुल्क देयता के लिए सम्पूर्ण औद्योगिक आस्थान को एक इकाई माना जायेगा। 07 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थिति औद्योगिक भू-खण्ड के मूल्यांकन हेतु एक समान सर्किल दर निर्धारित की जाएगी। प्लेज पार्क को विकसित करने के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा प्लेज पार्क में स्थित भूखण्डों का मूल्यांकन करके न्यूनतम सर्किल दर निर्धारित की जायेगी एवं न्यूनतम दर निर्धारित करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा तत्समय समस्त हितधारक विभाग/संस्था के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

(5) विलेखों की पुष्टि हेतु एवं तत्संबंध में छूट प्रदान करने के लिये साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी के अनुमोदन से उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को अधिकृत किया जाये।

(6) शासनादेश संख्या-10/2023/016 /18-2-2023 /18-2002 /18/2022 दिनांक 01.02.2023 के प्रस्तर-2(8) से जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत धनराशि निवेशक को दिये जाने की व्यवस्था को हटाते हुए निम्न प्राविधान किया जाता है:-

"इस योजना के अंतर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर एमएसएमई पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत हेतु अधिकतम रु0 50 लाख प्रति एकड़ की दर से अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु प्रवर्तक/प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में दर्शायी गयी लागत अथवा मांगी गयी धनराशि, में से जो कम हो, एक प्रतिशत (01%) ब्याज पर उपलब्ध करायी जायेगी।"

(7) शासनादेश संख्या-10/2023 /016 /18-2-2023 /18-2002 /18/2022 दिनांक 01.02.2023 के प्रस्तर-2(3) में वर्णित व्यवस्था के साथ निम्न प्राविधान जोड़ा जाता है:-

कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि पर निम्नानुसार व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं अनुमन्य होंगी:-

- i. होटल, रेस्तराँ एवं जलपान गृह।
- ii. विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन/पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पम्प।
- iii. चिकित्सालय/औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र/बैंकिंग सुविधाएं।
- iv. डारमेट्री/क्रेच।
- v. वेयरहाउस/टेस्टिंग लैबोरेटरी/अनुसंधान एवं विकास केन्द्र एवं संबंधित सुविधाएं।
- vi. कौशल विकास केन्द्र/कम्प्यूटर केन्द्र/साइबर कैफे/जन सुविधा केन्द्र।

(8) उपर्युक्त सभी प्राविधान पूर्व में स्वीकृत किये गये प्लेज पार्कों पर भी यथावत लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-10/ 2023 /016 /18-2-2023 /18-2002 /18 /2022 दिनांक 01.02.2023 एवं सामान्य मानक शासनादेश संख्या-11 /2023 /086 /18-2-2023 /18-2002 /18/2022 दिनांक 15.02.2023 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त व्यवस्था का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
- 4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- समस्त संयुक्त आयुक्त उद्योग/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।